न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
लियाकतखां पुत्र साहबुद्दीनखां जाति मेव मुसलमान निवासी उलेटा तहसील नगीना पीएस नगीना जिला मेवात हरियाणा		सरकार जरिये लोक अभियोजक जालोर

प्रकरण संख्या विविध प्रार्थना 31 / 2019

कम्प्यूटर आई डी 2019 /

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5(8) राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजनयान निर्यात का विनियम) अधिनियम 2015 व 11(1)(डी) पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960

11.12.2019	थाना अधिकारी सायला द्वारा सी.आर.नबंर 199 / 19 सरकार बनाम लिसासतखां पुत्र साहबुद्दीन खां जाति मेव मुसलमान निवासी उलेटा तहसील नगीना पी.एस नगीला तिला मेवात हरियाणा 2.श्री शोयब कुरैसी पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 27 वर्ष पेशा परिचालक निवासी 82 के केतीपुरा बागपत थाना व जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) द्वारा राज्य प्रशु ऊँटो को निर्दयता पुर्वक क्षमता से ज्यादा ठूंस–ठूस कर खचा खच ट्रक में भरे जाने एवं राज्य पशु ऊँट का बिना परमीट के अन्य राज्य में परिवहन करना पाया जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्व जुर्म धारा 5 / 8 राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजनयान निर्यात का विनियम) अधिनियम 2015 व 11(1)(डी) पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 में प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री हबिवुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान जाति पठान मुसलमान निवासी बागपत तहसील व जिला बागपत द्वारा प्रार्थन पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खरीद सुदा कुल 9 ऊँट जिसमे 6 नर 3 मादा तथा प्रार्थी के भतीज इरफान पुत्र फरमान जाति पठान मुसलमान निवासी बागपत के 8 ऊँट जिसमें 7 नर 1 मादा जब्त किये गये है।जिसकी पुलिस को अब अनुसधान में कोई आवश्यकता नही है।उक्त बरामद सुदा कुल 17 ऊँट हमने बजरंग पशु मेला सिणधरी से खरीद किये है।उक्त ऊँट बाडमेरी व बीकानेरी नस्ल के है, जिसे आगे हिंडोन जिला करौली स्थिति पशु मेले में लेकर जा रहे थे, जिन्हे पुलिस द्वारा गलत रूप से जब्त किया है। बरामद सुदा ऊँट के मालिकाना हक के संबंध में कागजात बताने के वाबजूद भी ऊँटो को मुकदमें में जब्त कर गौ शाला को सुपुर्द किया है। उक्त ऊँटो का गौशाला में उचित देख भाल नही हो रही है।ऊँटो के बीमार होने की सम्भावना है। अतः पुलिस थाना सायला द्वारा जब्त किये गये ऊँटो को सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पर स्थानीय प्रतिनिधि उमेशदास पुत्र मोहनदास उम्र 27 वर्ष जाति वैष्णव निवासी गोडीजी मन्दिर के पास जालोर को दिलाने का आदेश फरमावे। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सायला द्वारा लोक अभियोजक जालोर के मार्फत प्रकरण में बरामदा कुल 17 ऊँटो की सुपुर्दगीनामा बाबत इस्तगासा सरकार बनाम लियाकतखा वगैराह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय इस्तागासा दस्तावेज प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्त सुदा 17 ऊँटो को बिना परमीट के ट्रक में भर कर राज्य से बहार ले जाया जा रहा था।जिस पर जुर्म धारा 5(8) राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियम) अधिनियम 2015 व 11(1)(डी) पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 का उल्लघंन करके अपराध कारित किया जाना पाया जाने पर माफिक फर्द सुपुर्दगी नामा	

जिला कलेक्टर,जालोर

व हिदायत के श्री जीवदया गौशाला मीरपुरा (भीनमाल)के अध्यक्ष श्री मोहनलाल को सुपुर्द किये गये। तथा सभी ऊँटो का वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी भीनमाल से परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई है।अभियुक्तगण से प्रकरण में अनुसंधान किया जाकर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये गये।प्रार्थीगण द्वारा ट्रक में राज्य पशु ऊँटो को निर्दयता पुर्वक क्षमता से ज्यादा एक दूसरे के आमने सामने पैर व मुंह बाधकर ठूस–ठूस कर खचा खच बर्बरतापूर्वक भरे हुये पाये जाने व ट्रक के ऊपर तिरपाल बांधकर श्वास लेने में तकलीफ होने एवं राज्य पशु ऊँट का बिना परमीट के अन्य राज्य में परिवहन करना पाया गया।इस प्रकार प्रार्थीगण लियाकतखां व सोय के विरूद्ध जुर्मधारा 5(8) राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियम) अधिनियम 2015 व 11(1)(डी) पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 का प्रमाणित है।प्रकरण में बरामदा कुल 17 ऊँटो का वर्तमान में श्री जीवदया गौशाला मीरपुरा तहसील भीनमाल में पालन पोषण हो रहा है।प्रकरण में अब तक किसी द्वारा बरामदा ऊँटो के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।अतःप्रकरण का इस्तगासा मय तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रकरण में बरामदा कुल 17 ऊँटो की सुपुर्दगीनामा हेतु पेश है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के वकील एवं अप्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक की बहस सुनी गई एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया।प्रार्थना पत्र एवं सरकार की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यो एवं बहस में बताई गई परिस्थितियो को मध्यनजर रखते हुये आदेश दिये जाते है कि उक्त 17 ऊँटो की किसी अन्य मुकदमें में आवश्यकता नही हो एवं उन्हे सुपुर्दगी नामे पर छोडने के लिये किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश की आवश्यकता नही हो तो स्थानीय प्रतिनिधि को कुल राशि 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये की जमानत पर सुपुर्दगीनामे पर दिया जावे। प्रार्थी श्री हबिबुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान जाति पठान मुसलमान निवासी बागपत तहसील व जिला बागपत द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्थानीय प्रतिनिधि उमेशदास पुत्र मोहनदास उम्र 27 वर्ष जाति वैष्णव निवासी गोडीजी मन्दिर के पास जालोर को नियुक्त किया है।माफिक आदेश जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पेश कर जब्त सुदा 17 ऊँटो को सुपुर्दगार उमेशदास को सुपुर्द करावे।

इस पर प्रार्थीगण के वकील ने कुल 100000/–अक्षरे एक लाख रूपये का जमानतनामे व इसी कदर का सुपुर्दगी नामें पेश किये जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। इस प्रकरण में और कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही होने से जब्त सुदा 17 ऊँटो को श्री पुत्र मोहनदास उम्र 27 वर्ष जाति वैष्णव निवासी गोडीजी मन्दिर के पास जालोर को रूपये 100000/–अक्षरे एक लाख रूपये के जमानतनामा, सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने का आदेश पारित किया जाता है। थाना अधिकारी पुलिस थाना सायला को लिखा जावे कि प्रत्येक ऊँट का फोटो ग्राफ मय हुलिया नोट कर नियमानुसार प्राप्ति रसीद लेकर इस न्यायालय को भिजवाये। बाद पालना के पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर